पारादीप पोर्ट के लिए परमिट जारी करना

(पोर्ट क्षेत्र में प्रवेश का नियमन)

आदेश १९७५

पारादीप पोर्ट, दिनांक: २३/२४ अप्रैल, १९७५

सं या- २१९१/ पारादीप पोर्ट रूल्स, १९६६ के अनयम ९६ के साथ पठित नियम ८१, ८२, ८४, ८५, ९० और ९१ के प्रावधानों के अनुरूप इंडियन पोर्ट्स एक्ट १९०८ की धारा (६) के अधीन नि नलिखित आदेश बनाए गए हैं, नामत:

१ लघु शीर्षक एवं क्रियान्वयन:

१) इस आदेश को पारादीप पोर्ट के लिए परमिट जारी करना (पोर्ट क्षेत्र में प्रवेश का नियमन) आदेश १६७५ के नाम से पुकारा जा सकता है।

२) यह उड़ीसा सरकार के गृह विभाग (विशेष खड) अधिसूचना सं या २१८४/सी, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, १९२३ की धारा (२) के तहत दिनांक २८ अप्रैल, १९६६ को पारादीप पोर्ट की सीमाओं के भीतर बतौर प्रतिबंधित क्षेत्र क रूप में अधिसूचित और अन्य क्षेत्रों के अलावा सभी जहाजी घाटों, शेडों, द्वारों पर लागू होगा।

३) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

२ १) माल आदि उतारने, शिपमेंट, उसका भंडारण करने, उसकी प्राप्ति करने और सभी कामकाजों के उद्देश्यों से क्लॉज (१) की उप-क्लॉज (२) में वर्णित पारादीप पोर्ट की सीमाओं के भीतर सभी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदाताओं या श्रमिकों की आपूर्तिकर्ताओं –

ए) को १०/- रुपए का बतौर पंजीयन शुल्क अदा कर पोर्ट के ट्रैफिक मैनेजर क पास खद को बतौर श्रमिकप्रदाता/श्रमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपना पंजीयन कराना होगा।

बी) को १००/- रुपए का शुल्क अदा करके संबंधित प्रपत्र में ट्रैफिक मैनेजर से एक परमिट प्राप्त करना होगा।

३ सभी पंजीकृत परमिटधारकों को उसमं वर्णित शर्तों व नियमों का अनुपालन करना होगा।

४ ए) पंजीकृत परमिटधारक को अपने सभी लोगों/उसके द्वारा आपूर्ति किए गए लोगों को पोर्ट में प्रवेश कराने के लिए आवश्यक क्लॉज-१ की उप-क्लॉज (२) में वर्णित एंट्री पास/परमिट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बी) पंजीकृत परमिटधारक को उसे जारी किए गए एंट्री परमिट/टोकन आदि का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें प्रस्तुत कर सके।

सी) टोकन/परमिट की अवधि खत्म होने पर उसे सभी एंट्री पास और टोकन वापिस लौटाने होंगे।

५ पुलिस अधिकारी या यातायात सुरक्षा/पोर्ट के श्रमिक विभागों के अधिकारी/किसी कार्यकारी अभियंता अथवा चेयरमैन द्वारा विधिवत रूप से

अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के मांगने पर यह परमिट जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

६ परमिट में प्रदत्त नियमों एवं शर्तों की ईमानदारी से पालना सुनिश्चित करने हेतू ट्रैफिक मैनेजर जब चाहे पंजीकृत परमिटधारक को ५०००/- रुपए तक धरोहर राशि जमा करने को कह सकता है।

७ सभी पंजीकृत परमिटधारका के नाम पोर्ट ट्रस्ट के सभी विभागों के नोटिस बोर्डों और पोर्ट क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर चिपकाए जाएंगे।

८ पंजीकृत परमिटधारक उसे जारी किया गया टोकन या परमिट न तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करेगा और न हो किसी अन्य को इस्तेमाल करने के लिए सौंपेगा।

९ पोर्ट के प्रवेश द्वार और फाटक ट्रैफिक मैनेजर द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान खोले रख जाएंगे जहां इससे इतर समयावधियों के दौरान उन्हें केवल उन्हीं लोगों के लिए खोला जाएगा जिनके पास ट्रैफिक मैनेजर की ओर से इस उद्देश्य हेतू जारी विशेष पास होंगे।

१० कोई भी पंजीकृत परमिट धारक और उसके द्वार रखा गया श्रमिक/आपूर्ति किया गया मज़दूर पोर्ट के किसी अन्य कर्मचारी को उसके काम काज के संदर्भ में न तो उसका शोषण करेगा, न हमला करेगा, न प्रतिरोध करेगा, न रोकेगा, न बाधा पहुचाएगा, न भड़काएगा और न ही ऐसी किसी भी गतिविधि को करने की पेशकश करेगा, ऐर न ही वैध आदेशों का उल्लंघन करेगा या उसके खिलाफ अमर्यादित अथवा गाली-गलौच की भाषा का इस्तेमाल करेगा और न ही किसी और को ये सब करने के लिये भड़कायेगा।

११ पंजीकृत परमिट धारक को ट्रैफिक मैनेजर द्वारा यथा निर्दिष्ट क्लॉज़ (२) में वर्णित किसी भी किस्म के संचालन या उस सभी का विधिवत

पालन करना होगा।

१२ पंजीकृत परमिट धारक को क्लॉज़ (२) में वर्णित संचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त सं या में काम पर रखना होगा।

१३ पंजीकृत परमिट धारक को समय समय पर निर्धारित काम का निपटान सुनिश्चित करना होगा।

१४ पंजीकृत परमिट धारक अपने श्रमिक बल में किसी अवांछित तत्व को नहीं जोड़ेगा और पोर्ट परिसर के भीतर काम काज के लिये उचित वातावरण सुनिश्चित करेगा।

१५ १) पंजीकृत परमिट धारक इस आदेश के प्रावधानों के किसी भी विरोधाभास और उसके किसी भी नियम एवं शर्तों के विरोध स्वरूप रद्द किये जाने का उत्तरदायी होगा।

२) ट्रैफिक मैनेजर पंजीकृत परमिट धारक को बिना कोई कारण बताये पोर्ट के हित में उसका परमिट रद्द कर सकता है।

१६ यदि ट्रैफिक मैनेजर ऐसी किसी जांच पड़ताल में यह पाये कि पंजीकृत परमिट धारक की ओर से पोर्ट क्षेत्र ममें अनुशासनहीनता बरती गई और पोर्ट के काम-काज और संचालन में बाधा आई तथा इस तरह केन्द्रीय और प्रदेश कानून का उल्लंघन किया गया तो वह उसका परमिट रद्द करने के साथ-साथ उसे ब्लैक लिस्ट किये जाने के भी आदेश दे सकता है।

१७ क्लॉज़ १५ और १६ के अधीन प्रदत्त जुर्माने के अलावा पारादीप पोर्ट विनियमों १९६६ के नियमन ९६ के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

१८ इन नियमों एवं शर्तों में वर्णित पहलुओं से पोर्ट के आला अधिकारियों को इस बात का फैसला लने से रोका नहीं जाएगा कि वे पंजीकृत परमिट धारक या उसके द्वारा रख गये या आपूर्ति किये गये किसी श्रमिक की किसी गलती की वजह से पोर्ट की स पत्ति को नुकसान हुआ या उसे क्षति पहुंची तो कानूनी तौर पर उससे किसी भी तरह का बकाया या मुआवज़ा वसूला जा सकता है।

१९ यह आदेश समय समय पर पोर्ट के क्षेत्र के भीतर कार्य करने वाले अन्य वर्ग के लोगों पर लागू कराया जा सकता है।

२० ट्रैफिक मैनेजर पारादीप पोर्ट नियमों के अधीन सभी संबंधित मदों पर दिशा निर्देश जारी करने में सक्षम होगा जो नियमनों और इस आदेश के प्रावधानों को लागू कराने हेतु आवश्यक हो सकते हैं।

२१ पंजीयन और परमिट की एक पुस्तक ट्रैफिक मैनेजर के कार्यालय में संबंधिक प्रपत्र में रखो जाएगी।

दिनांक: २३/२४ अप्रैल, १९७५

हस्ता-

(प्रेमानंद त्रिपाठी)

चेयरमन

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

क्र. सं.	श्रमिक रोजगारप्रदाता/ श्रमिक आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	पंजीयन का उद्देश्य	पंजीयन की तिथि	पंजीयन शुल्क जो अदा किया गया	धरोहर राशि, यदि कोई है	संदर्भ सं या एवं प्रदत्त परमिट	अदा किया गया परमिट शुल्क	परमिट की वैधता अवधि	जिसके लिए परमिट रिन्यू किया गया	अदा किया गया रिन्यूअल शुल्क	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

परमिट

अधोलिखित शर्तों के विषयाधीन .... से .... की अवधि हेतू पारादीप पोर्ट परमिट (पोर्ट क्षेत्र में प्रवेश का नियमन) जारी आदेश १९७५ के क्लॉज-२ में प्रदत्त लैंडिंग, शिपमेंट, भंडारण, प्राप्ति और कारगो से सामान आदि उतारने तथा अन्य सभी संचालनों हेतू श्रमिक रखने/श्रमिकों की आपूर्ति करने हेतू मै. .... (इसके बाद पंजीकृत परमिटधारक के रूप में जाना जाएगा) को यह परमिट जारी किया जाता है।

नियम एवं शर्तें:

१) यह परमिट उपरोक्त प्रदत्त अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते उसे पूर्व में रद्द न कर दिया गया हो।

२) १००/- रुपए का परमिट शुल्क या समय-समय पर निर्धारित ऐसी कोई अन्य राशि परमिट जारी करते समय संबंधित अवधि हेतू एक किश्त में देय होगी।

३) परमिट की समयावधि पूरी होने पर पंजीकृत परमिटधारक की ओर से ट्रैफिक मैनेजर को उसके विवेकानुसार पूर्व में एक आवेदन करने पर रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यूअल का शुल्क भी असल परमिट के लिए देय शुल्क जैसा होगा।

४) ए) पंजीकृत परमिटधारक को अपने सभी लोगों/उसके द्वारा आपूर्ति किए गए लोगों को पोर्ट में प्रवेश कराने के लिए आवश्यक क्लॉज-१ की उप-क्लॉज (२) में वर्णित एंट्री पास/परमिट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बी) पंजीकृत परमिटधारक को उसे जारी किए गए एंट्री परमिट/टोकन आदि का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें प्रस्तुत कर सके।

सी) टोकन/परमिट की अवधि खत्म होने पर उसे सभी एंट्री पास और टोकन वापिस लौटाने होंगे।

५ पंजीकृत परमिटधारक को इसके अधीन उसके द्वारा रख गए श्रमिक कार्य बल अनुशासन में हरते हुए प्रभावशाली कामकाज, वांछित कार्य पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

६ पंजीकृत परमिट धारक ट्रैफिक मैनेजर या इस परमिट के दायरे में आते कामकाज के संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रदतत निर्देशों का पालन करेगा।

७ पुलिस अधिकारी या यातायात सुरक्षा/पोर्ट के श्रमिक विभागों के अधिकारी/किसी कार्यकारी अभियंता अथवा चेयरमैन द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के मांगने पर यह परमिट जांच हेतू प्रस्तुत करने होंगे।

८ परमिट में प्रदत्त नियमों एवं शर्तों की ईमानदारी से पालना सुनिश्चित करने हेतू ट्रैफिक मैनेजर जब चाहे पंजीकृत परमिटधारक को ५०००/- रुपए तक धरोहर राशि जमा करने को कह सकता है।

९ पंजीकृत परमिटधारक उसे जारी किया गया टोकन या परमिट न तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करेगा और न ही किसी अन्य को इस्तेमाल करने के लिए सौंपेगा।

१० पोर्ट के प्रवेश द्वार और फाटक ट्रैफिक मैनेजर द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान खोले रख जाएंगे जहां इससे इतर समयावधियों के दौरान उन्हें केवल उन्हीं लोगों के लिए खोला जाएगा जिनके पास ट्रैफिक मैनेजर की ओर से इस उद्देश्य हेतू जारी विशेष पास होंगे।

११ कोई भी पंजीकृत परमिट धारक और उसके द्वार रखा गया श्रमिक/आपूर्ति किया गया मज़दूर पोर्ट के किसी अन्य कर्मचारी को उसके काम काज के सदर्भ में न तो उसका शोषण करेगा, न हमला करेगा, न प्रतिरोध करेगा, न रोकेगा, न बाधा पहुचाएगा, न भड़काएगा और न हो ऐसी किसी भी गतिविधि को करने की पेशकश करेगा, ऐर न ही वैध आदेशों का उल्लंघन करेगा या उसके खिलाफ अमर्यादित अथवा गाली-गलौच की भाषा का इस्तेमाल करेगा और न ही किसी और को ये सब करने के लिये भड़कायेगा।

१२ पंजीकृत परमिटधारक को ट्रैफिक मैनेजर द्वारा समय-समय पर निर्धारित कामकाजी घंटों का पालन करना होगा और ट्रैफिक मैनेजर द्वारा लिखित में प्रदत्त मंजूरी के बिना अधिसूचित कामकाजी घंटों के दायरे के बाहर जाकर कामकाज की अनुमति नहीं होगी।

१३ पंजीकृत परमिट धारक को ट्रैफिक मैनेजर द्वारा यथा निर्दिष्ट क्लॉज़ (२) में वर्णित किसी भी किस्म के संचालन या उस सभी का विधिवत

पालन करना होगा।

१४ पंजीकृत परमिट धारक को क्लॉज़ (२) में वर्णित संचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त सं या में काम पर रखना होगा।

१५ पंजीकृत परमिट धारक को समय समय पर निर्धारित काम का निपटान सुनिश्चित करना होगा।

१६ पंजीकृत परमिट धारक अपने श्रमिक बल में किसी अवांछित तत्व को नहीं जोड़ेगा और पोर्ट परिसर के भीतर काम काज के लिये उचित वातावरण सुनिश्चित करेगा।

१७ इन नियमों एवं शर्तों में वर्णित पहलुओं से पोर्ट के आला अधिकारियों को इस बात का फैसला लेने से रोका नहीं जाएगा कि वे पंजीकृत परमिट धारक या उसके द्वारा रख गये या आपूर्ति किये गये किसी श्रमिक की किसी गलती की वजह से पोर्ट की स पत्ति को नुकसान हुआ या उसे क्षति पहुंची तो कानूनी तौर पर उससे किसी भी तरह का बकाया या मुआवज़ा वसूला जा सकता है।

१८ १) पंजीकृत परमिट धारक इस आदेश के प्रावधानों के किसी भी विरोधाभास और उसके किसी भी नियम एवं शर्तों के विरोध स्वरूप रद्द किये जाने का उत्तरदायी होगा।

२) ट्रैफिक मैनेजर पंजीकृत परमिट धारक को बिना कोई कारण बताये पोर्ट के हित में उसका परमिट रद्द कर सकता है।

१९ यदि ट्रैफिक मैनेजर ऐसी किसी जांच पड़ताल में यह पाये कि पंजीकृत परमिट धारक की ओर से पोर्ट क्षेत्र ममें अनुशासनहीनता बरती गई और पोर्ट के काम-काज और संचालन में बाधा आई तथा इस तरह केन्द्रीय और प्रदेश कानून का उल्लंघन किया गया तो वह उसका परमिट रद्द करने के साथ-साथ उसे ब्लैक लिस्ट किये जाने के भी आदेश दे सकता है।

२० क्लॉज़ १५ और १६ के अधीन प्रदत्त जुर्माने के अलावा पारादीप पोर्ट विनियमों १९६६ के नियमन ९६ के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

२१ यदि पंजीकृत परमिटधारक पोर्ट की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और किसी अन्य कानून के तहत उस पर लगाए जाने वाले दंड के अलावा वह क्षतिपूर्ति, मर मत और वसूली की राशि अदा करने को उत्तरदायी होगा।

२२ यदि पंजीकृत परमिटधार उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के किसी प्रावधान अथवा उनके अधीन प्रदत्त आदेश का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे हर उल्लंघन के बदले दंडनीय होगा जो १००/- रुपए से ज्यादा हो सकता है।

२३ पंजीकृत परमिटधारक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गठित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की स ती से अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

दिनांक: ....

ट्रैफिक मैनेजर के हस्ताक्षर

(मैं एतदद्वारा परमिट और आदेश के उपरोक्त नियम एवं शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।)

पंजीकृत परमिटधारक के हस्ताक्षर